मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ. 14 (4)/99/एक-10 भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर, 2001

प्रति,

प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
. . . . . विभाग,
भोपाल.

विषय :—आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक हैसियत के जीवन स्तर वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही.

संदर्भ :—इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ. 14 (4)/99/एक-10, दिनांक 2-11-99.

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (छाया प्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करें.

उक्त विषयक प्रकरण में की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत कराने हेतु निवेदन किया गया था परन्तु आपकी ओर से आज दिनांक तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुयी है.

अतः आदेशानुसार पुनः निवेदन है कि प्रकरण में की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से इस कक्ष को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें.

हस्ता./-
(ए. व्ही. ग्वालियरकर)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ. 14 (4)/99/एक-10

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 99

प्रति,

प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
भोपाल.

विषय :—आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक हैसियत के जीवन स्तर वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही.

भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए शासन द्वारा अनेक उपाय किये जा रहे हैं. किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त होने पर शासन द्वारा या तो वरिष्ठ अधिकारियों अथवा लोकायुक्त संगठन/राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/मुख्य तकनीकी परीक्षक से जांच करायी जाती है. जांच में प्रथमदृष्ट्या आरोप सिद्ध होने पर अभियोजन की कार्यवाही की जाती है या विभागीय कार्यवाही की जाती है.

2. इस परिप्रेक्ष्य में यहां यह उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में शासकीय सेवकों द्वारा चल/अचल संपत्ति अर्जित करने पर शासन को यथासमय सूचित करने अथवा शासन की अनुमति प्राप्त करने के विषय में विस्तृत प्रावधान किये गये हैं. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी उक्त नियमों के नियम 19(1) में उल्लेखित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में समय-समय पर निर्देश जारी कर यह अपेक्षा की गयी है कि शासकीय सेवकों द्वारा अपनी अचल संपत्ति के संबंध वार्षिक विवरण सक्षम अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवर्ष 31 जनवरी तक प्रस्तुत अवश्य किये जायें. जांच के दौरान यदि यह पाया जाय कि कोई अधिकारी ज्ञात स्रोतों से अधिक जीवन स्तर रखता है तो उसकी जांच करने में चल/अचल संपत्ति का विवरण सहायक हो सकता है. अत: यह आवश्यक है कि शासकीय सेवकों के अचल संपत्ति के विवरण समय से प्राप्त किये जायें और उनके द्वारा कब की गई अचल संपत्ति की सूचनाएं भी संकलित की जाय. जिन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हों उनकी अचल संपत्ति के विवरण तथा अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय की सूचनाओं का बारीकी से अध्ययन किया जाना चाहिये और यह देखा जाना चाहिए कि उनकी संपत्ति तथा उनके द्वारा किये जा रहे व्यय उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक तो नहीं है. यदि यह पाया जाय कि उनके व्यय या संपत्ति उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है तो उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए. यदि विभागीय स्तर पर पूरी जांच संभव न हो तो लोकायुक्त संगठन अथवा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/मुख्य तकनीकी परीक्षक से जांच का अनुरोध निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए. उनके द्वारा जांच प्रारंभ करने पर उन्हें अचल संपत्ति का विवरण तथा चल संपत्ति के क्रय की सूचनाएं इत्यादि उपलब्ध करा दी जानी चाहिए जिससे कि वे सुविधापूर्वक जांच कर सकें. जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि भ्रष्टाचार के आरोप प्रथमदृष्ट्या सिद्ध पाये जायं तो ऐसे अपचारी अधिकारी के विरुद्ध जांच एजेन्सी की अनुशंसा के अनुसार अभियोजन या विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिए.

हस्ता./-
(ए. व्ही. ग्वालियरकर)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.